

प्रेषक,

रमेश चन्द्र –पंचम, एच०जे०एस०,
जनपद न्यायाधीश,
बदायूँ ।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

पत्रांक: ६३६ / प्रथम, बदायूँ दिनांक: २० फरवरी २०२०

विषय: कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के विज्ञापन संख्या –१५/३९/२०००-टी.सी. -२ का-४-२०२० दिनांकित २९.०१.२०२० के सन्दर्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

संदर्भित विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के विज्ञापन संख्या ७१५/३९/२०००-टी.सी.-२ का-४-२०२० दिनांकित २९.०१.२०२० के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के सदस्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति/चयन हेतु विज्ञप्ति –२०२० द्वारा आनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आनलाईन आवेदन समिट करने की अन्तिम तिथि ०३.०३.२०२० है। मैं उक्त पद के लिये आवेदन करना चाहता हूँ जिसके लिये सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे पक्ष में अविलम्ब अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें ताकि मैं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के विज्ञापन संख्या ७१५/३९/२०००-टी.सी.-२ का-४-२०२० दिनांकित २९.०१.२०२० के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के सदस्य के रिक्त पद पर समय से अपना आनलाईन आवेदन/रजिस्ट्रेशन समिट कर सकूँ।

संसम्मान ।

संलग्नक: यथोक्त ।

भवदीय

Ram Chandra
२०/२/२०२०

(रमेश चन्द्र –पंचम)

जनपद न्यायाधीश,
बदायूँ

कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

विज्ञापन संख्या-15/39/2000-टी.सी.-2-का-4-202

दिनांक 29-01-2020

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रशासनराज में सदस्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति/चयन हेतु विज्ञापन-2021

आनलाइन आवेदन/रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि 01-02-2020

आवेदन सम्बिंदा करने की अन्तिम तिथि 03-03-2020 लम्बिक विभाग के विज्ञापन संख्या 15/39/2000-टी.सी.-2-का-4-2020 के अन्तर्गत सदस्य के रिक्त सेवा वाले पदों पर चयन हेतु भारत के लागरिकों से आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त रिक्त वाले वाले पदों के लिए आवेदन को केवल एक ही आवेदन सम्बिंदा () करना है। भारत गोपनियात के अनुच्छेद 315 के अनुसार प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से चयनकार्य लिकटनम आश्र ऐसे व्यक्ति होंगे, जो अपनी नियुक्ति की जारीधर पर भारत सरकार या उसी राज्य सरकार के भवित्व कम से कम दस वर्ष तक पठारण कर चुके हैं।

लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद धारित करने की तिथि से 06 वर्ष की उपर्युक्त उम्र अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो पहले ही अपनी पद धारण करता।

भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवा कर चुके आवेदक, जो कम से कम 10 वर्षों तक सरकारी पद धारित कर चुके हों, उनके द्वारा आवेदन करते सदस्य अपनी सेवा के अन्तिम 10 वर्षों में धारित पदों का विवरण अवधिसंहित अंकित किया जायेगा।

कोई व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदाधिकी की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

आयु- सदस्य, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रशासनराज के रिक्त पदों पर आवेदन हेतु इच्छुक आवेदक, जो विज्ञापन की तिथि तो 62 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत भाले हैं उन्हीं आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पदों की संख्या जिन पर चयन होता है, सदस्य से रिक्त पदों की कुल संख्या 03 है।

बैतज्ज्ञ- सदस्य को शासन व आयोग द्वारा लिघ्तित घोषन व भल्ले अनुसन्धान होते।

शुल्क- आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।

आनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए आवश्यक संघर्ष:

इस विज्ञापन के अन्तर्गत आवेदन करते हेतु आनलाइन आवेदन पढ़ते () लागू है। अन्य अली भाष्यम से तेवित आवेदन स्थीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक आनलाइन आवेदन ही करें।

नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की वेबसाइट www.niyuktionline.up.nic.in पर 'विज्ञापन विवरण ()' पर क्लिक करने पर आनलाइन एडवरटाइजमेंट स्थिति: प्रदर्शित होता।

यूजर इन्स्ट्रक्शन () में आवेदकों को आनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिये हैं। इसके बाद आवेदक व्यू एडवरटाइजमेंट () को विलक करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन देख जायेगा। आवेदन हेतु अप्लाई () पर क्लिक करें। आनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्न प्रकार हो जायेगा-

अप्लाई किलक करने पर आयेटक पंजीकरण () का विकल्प आयेगा। उसे किलक के का वैसिक रजिस्ट्रेशन फार्म प्रदर्शित होगा। फार्म भरने के पश्चात् सबमिट () बटन पर से पथम घरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् एप्लीकेन्ट रजिस्ट्रेशन एकलोले त होगा, जिसे प्रिंट पर मिलक करके गुद्धित किया जा सकेगा।

आयेटक को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित सबमिट एप्लीकेशन फार्म को मिलक के त फार्मट में आवलाइन सूचनाये भरनी होगी तथा फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड। आयेटकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नवीनतम् आवक्ष तक पासपोर्ट साइज ग्राफ (जो 03 माह से अधिक पुराना न हो) तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैनिंग करके ३ फोटोग्राफ (..., ..., ...) के प्रारूप पर होंगा जिसका आकार 50 के०वी० से अधिक नहीं ए। आयेटक काली स्थाही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। यदि फोटो हस्ताक्षर प्रिंट आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो आवलाइन आयेटन सिस्टम पर रु होगा।

आयेटन पत्र के सभी कॉलम भरे जाने होंगे, अतः अनिवार्य कॉलम को छोड़कर जो बटक से संबंधित न हो या उसमें कोई सूचना भरा जाना अपेक्षित न हो उसमें " अंकित किया ज

आयेटन प्रारूप पर सभी प्रविधियां अंकित करने के बाद 'व्यू एप्लीकेशन फार्म' को किलक बटक अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लैं कि सभी सूचनाये सही भरी गयी हैं और पूरी प्रिंट होने के बाद आवलाइन आयेटन विभाग को प्रेषित करने हेतु सबमिट बटन को किलक करें।

यदि आयेटक द्वारा सबमिट बटन को किलक नहीं किया जायेगा तो आयेटन सबमिट नहीं हो सका दायित्व आयेटक का होगा और इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।

फाइनल सबमिट बटन को किलक करने के पश्चात् सलग्न किये जाने वाले अमिलेल ग्लोड किये जायेंगे। तत्पश्चात् आयेटक भरे गये अपने आयेटन पत्र का प्रिंट आठट निकालकर अंकित रखें।

आयेटकों से अपेक्षा की जाती है कि वे आयेटन करते समय पूरी सावधानी बरतें। किसी विस्तैरे कार्मिक विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

एक बार आयेटन फाइनल सबमिट करने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होगा।

आयेटक द्वारा आयेटन में किया गया दावा सत्य न पाये जाने पर आयेटक को विभाग की तरफ से प्रतिवारित () किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

उनके लिए सामान्य अनुदेश-

आयेटक अपने विवरण के साथ तीन पंक्तियों में अनिवार्य रूप से यह अवश्य अंकित करेंगे जिनकम आपार पर उक्त पट को विशिष्ट रूप से धारित करने के योग्य हैं।

उन आयेटक केन्द्र अथवा राज्य सरकार या अन्य किसी शासकीय/अशासकीय संस्था में सेवार्थ प्राप्त योग्यता प्राप्ति के लिए अनुदेश-

Q ✓

स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मात्य होगी।
यु एवं शैक्षिक योग्यता की पुस्टी में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्व प्रमाणित प्रति अप्ति जाय।

आग से सभी पत्राचार में पद का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नम्बर, आवेदक का नाम/पति का नाम व जन्मतिथि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

आग आवेदकों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञा
। सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें वि
ज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्हः हैं।

इसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण घटना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक याद लग्न
ने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत क
था चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निर-
दले तथा चयन से प्रतिवारित () करने का अधिकार कानूनिक विभाग को होगा।

आवेदक के अर्हः/अनर्हः होने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का निर्णय अन्ति
मिता।

दि आवेदक को आनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही हो तो वे कार्यालय सभ्य
कानूनिक विभाग के दूरभाष नम्बर 0522-2226228 पर अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त
कर सकते हैं।

गलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि 03-03-2020 है।
सदस्य के स्वित पदों हेतु पूर्व विज्ञापन संख्या-15/39/2000-टी.सी.-2-का-4-2019 दिनांक
18-09-2019 में जिन आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है, उन आवेदकों को इस विज्ञापन
में पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।